"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जनवरी 2011—पौष 17, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद इशहाक पिता मोहम्मद अब्बास, निवासी-क्वाटर नं. - 4 बी, सड़क नं. - 23, सेक्टर - 2 भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्त होकर वर्तमान में भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई में सेक्शन आफिसर, कान्ट्रेक्ट सेल (N W) के पद पर कार्यरत हूं, यह कि भारतीय वायु सेना के सर्विस रिकार्ड में भूलवश मेरे पुत्र का नाम मोहम्मद जावेद दर्ज हो गया जो कि गलत है, जिसे परिवर्तित कर मैं अपने पुत्र का नाम मोहम्मद वसीम परवेज रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को मोहम्मद वसीम परवेज पिता मोहम्मद इशहाक के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
मोहम्मद जावेद पिता-मोहम्मद इशहाक निवासी-क्वा. नं. - 4 बी, सड़क नं. - 23 सेक्टर - 2, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	मोहम्मद वसीम परवेज पिता-मोहम्मद इशहाक निवासी-क्वा. नं. - 4 बी, सड़क नं. - 23 सेक्टर - 2, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अर्चना शशांक प्रसाद पति श्री शशांक सौरभ, उम्र-33 वर्ष, निवासी-डी- 20, मारूति रेसीडेंसी, पो.-आ. रविग्राम अमलीडीह रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व मेरा नाम अर्चना रायसागर पिता श्री रामसेवक रायसागर निवासी - मकान नं. 2, राजेन्द्र पार्क रोड न्यू पुरेना रायपुर (छ. ग.) था. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती अर्चना शशांक प्रसाद रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती अर्चना शशांक प्रसाद पति श्री शशांक सौरभ के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
अर्चना रायसागर पिता-श्री रामसेवक रायसागर निवासी-मकान नं. 2, राजेन्द्र पार्क रोड, न्यू पुरेना रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	श्रीमती अर्चना शशांक प्रसाद पति-श्री शशांक सौरभ निवासी-डी -20, मारूती रेसीडेन्सी, अमलीडीह, रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ठाकुर सुधांशु सिंह पिता ठाकुर नारायण सिंह, हाल निवास-लाखेनगर रायपुर, स्थायी निवास 8/7 वसुन्धरा नगर (उत्तर), सिरसा गेट, उमदा रोड, भिलाई - 3, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. पूर्व में मेरा नाम सुधांशु आशु था को परिवर्तित कर नया नाम ठाकुर सुधांशु सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे ठाकुर सुधांशु सिंह पिता ठाकुर नारायण सिंह के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सुधांशु आशु पिता-ठाकुर नारायण सिंह हाल निवास - लाखेनगर, रायपुर स्थायी निवास - 8/7 वसुन्धरा नगर (उत्तर) सिरसा गेट, उमदा रोड, भिलाई - 3, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	ठाकुर सुधांशु सिंह पिता-ठाकुर नारायण सिंह हाल निवास - लाखेनगर, रायपुर स्थायी निवास - 8/7 वसुन्धरा नगर (उत्तर) सिरसा गेट, उमदा रोड, भिलाई - 3, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 28 दिसम्बर 2010

प्रारूप क्र. - 5

(देखें नियम 45)

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के समक्ष

क्रमांक/280/अ. वि. अ./पंजी. लो. न्या./10.— अत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है :-

अब इसलिए मैं, संजय अग्रवाल, लोक न्यासों का पंजीयक राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, मेरे न्यायालय में दिनांक 22-12-2010 कि दिवस बुधवार पर कथित अधिनियम की धारा - 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति का सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री सुधर्म आराधना ट्रस्ट नंदई रोड कांजी हाउस के पास राजनांदगांव
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

संजय अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2010

प्रकरण क्र. ब/113 (1) वर्ष 2009-10

क्रमांक/125/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2010.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक विष्णु डोलिया वल्द स्व. श्री नागर मल डोलिया, ड्रोलिया पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्ट, ड्रोलिया इन्टरप्राइजेस गुरू नानक चौक 5 कपिल काम्पलेक्स रायपुर का लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 28-01-2011 को होगी

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	ड्रोलिया पब्लिक चेरी टेबल ट्रस्ट, ड्रोलिया इन्टरप्राइजेस गुरू नानक चौक 5 कपिल काम्पलेक्स रायपुर.
2.	चल संपत्ति	:	रु. 5000/- नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 23-12-2010 को जारी.

तारन प्रकाश सिन्हा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

प्ररूप क्र. 4
[देखे नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग, जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक /2452/प्र.3/लो. न्यास/अविअ/2010.—यत: कि श्री अशोक कुमार जैन (पटवा) निवासी टैगोर नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर ने श्री उवसग्गहरं तीर्थ चेरिटेबल ट्रस्ट, जालबांधा रोड नगपुरा के छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 30-01-2011 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार पर लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री उवसग्गहरं तीर्थ चेरिटेबल ट्रस्ट PH No. 59 Part 2298 जालबांधा रोड, नगपुरा तहसील व जिला दुर्ग.
2.	चल संपत्ति	:	नगद 25,000.00 रु. मात्र
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

क्यू. ए. खान,
पंजीयक.

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्रमांक/पंजीयन/2010/2267.—छ. ग. स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 की धारा 59 (2)(3) एवं टिप्पणी 3 (डी) के तहत यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित स्वायत्त सहकारिता लिखित साक्ष्यमय प्रमाण प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर कार्यालय को यह जानकारी भेजें कि सहकारिता अधिनियम के प्रावधानानुसार कार्यशील है तथा सभी नियमों का पालन यथा अंकेक्षण संचालक मण्डल की बैठकें वार्षिक आमसभा निर्धारित समय पर निर्वाचन सम्पन्न की जा रही है, निर्धारित अवधि तक सहकारिता द्वारा विवरणीया प्रस्तुत नहीं की जाती है तो यह माना जावेगा कि संस्था कार्यशील नहीं

है एवं अधिनियम के प्रावधानानुसार परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

क्रमांक (1)	समिति का नाम (2)	पं. क्र. व दिनांक (3)
1.	अरपा साख स्वायत्त सहकारिता समिति मर्या., बिल्हा	1/128/20-03-2002
2.	आदर्श बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता समिति मर्या., मुगेली	2/129/17-05-2002
3.	प्राथमिक अन्नपूर्णा उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता समिति मर्या., रतनपुर	3/31-12-2003
4.	प्राथमिक महामाया उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता समिति मर्या., रतनपुर	4/22-07-2004
5.	कृष्णा बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता समिति मर्या., लोरमी	5/9-11-2004
6.	जनसेवा उपभोक्ता भण्डार सहकारिता समिति मर्या., गोढ़ी	6/18-01-2005
7.	जय किसान बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता समिति मर्या., खरकेना	7/12-07-2005
8.	प्राथमिक वानिकी विकास स्वायत्त सहकारिता समिति मर्या., सकोला	8/18-08-2005
9.	प्राथमिक वानिकी विकास स्वायत्त सहकारिता समिति मर्या., पेन्ड्रारोड	9/18-08-2005
10.	जय किसान बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता समिति मर्या., रतनपुर	10/12-09-2005
11.	श्री महामाया बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता समिति मर्या., रतनपुर	11/20-10-2005
12.	सोंनभ्रद बहुउद्देशीय कृषक कल्याण स्वायत्त सहकारिता समिति मर्या., पेन्ड्रारोड	12/11-11-2005
13.	कृषि सहायता स्वायत्त सहकारिता समिति मर्या., पेन्ड्रा	13/24-08-2006
14.	श्री शारदा कृषक कल्याण स्वायत्त सहकारिता समिति मर्या., खेकतरा	14/21-06-2007
15.	श्री कृषक स्वायत्त सहकारिता समिति मर्या., बौदाबाड़ा मसानगंज	15/03-07-2007

निर्मल तिर्की,
प्र. संयुक्त पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक/संपंदु/परिसमापन/2010-11/1250.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत पंचवटी कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., अंजोरा, पंजीयन क्रमांक 2500 दिनांक 18-3-1994, विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग को कारण बताओ सूचना पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंदु/परिसमापन/2010-11/828 दुर्ग, दिनांक 07-08-2010 को जारी किया गया था. जवाब प्रस्तुत करने हेतु संस्था को दिनांक 20-08-2010 तक का समय दिया गया था. परन्तु लम्बे समय के उपरान्त भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, दुर्ग छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-पन्द्रह/दिनांक 27-8-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पंचवटी कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., अंजोरा, पंजीयन क्रमांक 2500 दिनांक 18-3-1994 विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

अत: समिति का समस्त लेन-देन पूर्ण करने के लिए छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, श्री देवाशीष दास, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-11-10 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 22 दिसम्बर 2010

क्रमांक/संपंदु/परिसमापन/2010-11/1512.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत नवोदित कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., उतई, पंजीयन क्रमांक 2499 दिनांक 18-01-1994, विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग को कारण बताओ सूचना पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंदु/परिसमापन/2010-11/828 दुर्ग, दिनांक 07-08-2010 को जारी किया गया था. जवाब प्रस्तुत करने हेतु संस्था को दिनांक 20-08-2010 तक का समय दिया गया था. परन्तु लम्बे समय के उपरान्त भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, दुर्ग छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-पन्द्रह/दिनांक 27-8-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नवोदित कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., उतई, पंजीयन क्रमांक 2499 दिनांक 18-01-1994 विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

अत: समिति का समस्त लेन-देन पूर्ण करने के लिए छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, श्री देवाशीष दास, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-12-10 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

जॉन खलखो,
सहायक रजिस्ट्रार.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.